[2019] 1 एस०सी०आर० 301

बिड़ला तकनीकी संस्थान प्रति झारखंड राज्य व अन्य,

व्यवाहार अपील सं० 2530/2012, निर्णय तिथि, दि० 07.01.2019,

पीठ- न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे
न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा

उपदान संदाय अधिनियम, 1972-- धारा 2(ङ)-- कर्मचारी-- अपीलार्थी देश का एक ख्यातिलब्ध प्रमुख तकनीकी संस्थान हैं-- प्रत्यर्थी सं० 4, अपीलार्थी संस्थान में सहायक आचार्य (Assistant Professor) के रूप में पदस्थापित (Joined) हुआ तथा सेवानिवृत्ति पर उपदान(Gratuity) का दावा किया-- उपदान के लिए प्रत्यर्थी सं० 4 की पात्रता-- धारितः प्रस्तुत अपील में अन्तर्वलित वाद-बिन्दु अनिर्णीत विषय (Res integra) नहीं है तथा अहमदाबाद निजी प्राथिमीक शिक्षक संघ के वाद में निर्णीत किया जा चुका है, जिसमें यह धारित किया गया था कि चूंकि 'शिक्षक', अधिनियम की धारा--2 (ङ) के अन्तर्गत कर्मचारी नही है, अतः उसे अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से, अधिनियम के अन्तर्गत अपने/अपनी नियोक्ता से उपदान का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है-- विधि के इस सिद्धांत के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी सं० 4, जो शिक्षक था तथा जो अपीलार्थी के साथ इस रूप में कार्यरत रहा, इस अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थी से उपदान राशि का दावा करने का पात्र नहीं था।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा,

धारित-

1. अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ के वाद में, विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या 'शिक्षक', को अधिनियम की धारा--2 (ङ) के अन्तर्गत 'कर्मचारी' माना जा सकता है, और, यदि हाँ, तो क्या वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अपने नियोक्ता से उपदान राशि का दावा करने का/की पात्र/पात्रा है। दो न्यायाधीशों की पीठ ने, इस प्रश्न का विस्तृत परीक्षण किया। न्यायमूर्ति डी०एम० धर्माधिकारी नें, पीठ की ओर से वाचन करते हुए, धारित किया कि एक 'शिक्षक', अधिनियम की धारा-2(ङ) में यथा परिभाषित 'कर्मचारी' पद के अर्थों में, एक कर्मचारी नही है, और इसलिए वह अधिनियम के अन्तर्गत, अपने नियोक्ता से उपदान राशि का दावा करने का/की पात्र/पात्रा नहीं है। इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित, इस विधिक सिद्धांत का पाठन करने पर, प्रत्यर्थी सं० 4,जो शिक्षक था तथा जो अपीलार्थी के साथ इस रूप में कार्यरत रहा, इस अधिनियम के

अन्तर्गत अपीलार्थी(BIT) से उपदान राशि का दावा करने का पात्र नहीं था। [प्रस्तर–12,13,14 तथा16][304-सी-ई; 308-ए-बी]

अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ प्रति प्रशासनिक अधिकारी व अन्य (2004)1 एस०सी०सी० 755:[2004] 1 एस०सी०आर० 470–अवलंबित (Relied)

2. यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा, अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ के वाद में दिए गए निर्णय को संदर्भित किया गया किन्तु इस आधार पर विभेद करने मे त्रुटि कारित की गई कि यह प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों पर ही अनुप्रयोज्य है, इस वाद हेतु इसका कोई अनुप्रयोग नही है। उच्च न्यायालय यह देखने में विपल रहा कि इस न्यायालय ने अभिव्यक्ति 'शिक्षक' तथा अधिनियम की धारा–2(ङ) में यथा परिभाषित अभिव्यक्ति 'कर्मचारी' के मध्य परीक्षण किया था और तत्पश्चात् यह धारित किया था कि 'शिक्षक', अधिनियम की धारा–2(ङ) अर्थ में यथा परिभाषित 'कर्मचारी' नहीं है। उक्त विधि को प्रतिपादित करते समय, इस न्यायालय ने शिक्षकों के मध्य न तो कोई विभेद किया और न ही अधिनियम के अन्तर्गत उपदान के दावे की अपनी पात्रता के निर्धारण के लिए, शिक्षक, किस शैक्षणिक संस्था में कार्य कर रहा है, के संबंध में विभेद किया। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया मत, इस न्यायालय द्वारा, अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ के वाद में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। यह, इस न्यायालय के निर्णय के दोषपूर्ण पाठन पर आधारित है, और, इसलिए, यह अपास्त किए जाने योग्य है। [प्रस्तर–17,18,19][308-बी-सी, ई-एफ]

विधि व्यवस्था सन्दर्भ

[2004] 1 एस०सी०आर० 470– प्रस्तर–12 पर अवलंबित (Relied)

व्यवहार अपीलीय क्षेत्राधिकार: व्यवहार अपील सं० 2530/2012

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा एल०पी०ए० सं० 53/2007 में पारित निर्णय व आदेश दि० 02.04.2008 से।

अपीलार्थी अधिवक्ता– श्री शंबू नंदी,
सुश्री एन० अन्नपूर्णी

प्रत्यर्थी अधिवक्ता– श्री अनिल कुमार झा,
श्री सुनील राय

न्यायमूर्ति अजय मनोहर सप्रे –

1.यह अपील, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा एल०पी०ए० सं० 53/2007 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दि० 02.04.2008 के विरूद्ध योजित है, जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस वाद के अपीलार्थी द्वारा संस्थित एल०पी०ए० को निरस्त कर दिया तथा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका सं० 2572/2005, में पारित आदेश दि० 12.01.2007 को पुष्ट किया।

2. इस अपील में एक लघु विवाद अन्तर्वलित है, जो आगे बताए गए तथ्यों से स्पष्ट होगा।

3.अपीलार्थी देश का एक ख्यातिलब्ध प्रमुख तकनीकी संस्थान हैं। इसे बिड़ला तकनीकी संस्थान(BIT) के नाम से जानते है।

4. प्रत्यर्थी सं० 4, अपीलार्थी संस्थान में सहायक आचार्य (Assistant Professor) के रूप में दि० 16.09.1971 को पदस्थापित (Joined) हुआ तथा सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण करने पर दि० 30.11.2001 को सेवानिवृत्त हुआ।

5. तत्पश्चात् प्रत्यर्थी सं० 4 ने अपीलार्थी से, प्रत्यावेदन के माध्यम से, उपदान (Gratuity)राशि के भुगतान हेतु प्रार्थना किया, जो, प्रत्यर्थी के अनुसार, उपदान संदाय अधिनियम,1972(सन्दर्भ हेतु लघु रूप में आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा)के अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा उसे देय था। हालांकि अपीलार्थी ने, प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा मांग की गयी उपदान राशि के भुगतान से इंकार कर दिया।

6. इसलिए प्रत्यर्थी सं० 4 ने अपीलार्थी के विरूद्ध, अधिनियम के अन्तर्गत, नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया और उपदान राशि का दावा किया,जो, उसके अनुसार, अधिनियम के अन्तर्गत उसे देय था।

7.प्रत्यर्थी सं० 3, नियंत्रक प्राधिकारी ने, आदेश दि० 07.09.2002 के माध्यम से, प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए, अपीलार्थी को, प्रत्यर्थी

सं० 4 को उपदान स्वरूप 3,38,796/–रूपए मय 10% वार्षिक ब्याज की राशि के भुगतान का निदेश दिया।

8. अपीलार्थी ने क्षुब्ध होकर, अधिनियम के अन्तर्गत, अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील योजित किया, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश दि० 15.04.2005 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने क्षुब्ध होकर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका योजित किया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश दि० 12.01.2007 के माध्यम से रिट याचिका को निरस्त कर दिया तथा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारियों के आदेशों की पुष्टि किया। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को, खंडपीठ के समक्ष एकस्व पत्र अपील (Letters Patent Appeal) योजित किया, जो आक्षेपित आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी संस्थान द्वारा, विशेष अनुमति के माध्यम से, इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील योजित की गयी।

9.इस अपील में विचार हेतु उद्भूत लघु प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्यर्थी सं० 4 को, अपीलार्थी (नियोक्ता) से उपदान राशि के दावे का पात्र मानने हेतु अवर न्यायालय न्यायानुमत थे।

10.अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शंबू नन्दी तथा प्रत्यर्थीगण सं० 1–3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार झा एवं प्रत्यर्थी सं० 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील राय को सुना।

11.पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा वाद के अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम इस अपील में बल पाते है।

12. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा जैसाकि उचित तर्क दिया गया है, इस अपील में अन्तर्वलित वाद–बिन्दु अनिर्णीत विषय (Res integra) नहीं है तथा **अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ प्रति प्रशासनिक अधिकारी व अन्य (2004)1 एससीसी 755** के वाद में इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है।

13. उपरोक्त, अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ के वाद में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या 'शिक्षक' को अधिनियम की धारा––2 (ङ) के अन्तर्गत, एक 'कर्मचारी'

माना जा सकता है और, यदि हाँ, तो क्या वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अपने नियोक्ता से उपदान राशि का दावा करने का/की पात्र/पात्रा है।

14. दो न्यायाधीशों की पीठ ने, इस प्रश्न का विस्तृत परीक्षण किया। न्यायमूर्ति डी०एम० धर्माधिकारी नें, पीठ की ओर से वाचन करते हुए यह धारित किया कि एक 'शिक्षक', अधिनियम की धारा–2(ङ) में यथा परिभाषित 'कर्मचारी' पद के अर्थों में एक कर्मचारी नहीं है, और इसलिए वह अधिनियम के अन्तर्गत, अपने नियोक्ता से उपदान राशि का दावा करने का/की पात्र/पात्रा नहीं है। दूसरे शब्दों में यह धारित हुआ कि चूंकि एक शिक्षक अधिनियम की धारा–2(ङ) के अन्तर्गत एक कर्मचारी नही है,उसे अधिनियम के अन्तर्गत, अपने नियोक्ता से उपदान राशि का दावा करने हेतु अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने का अधिकार नहीं है।

15. उपरोक्त निर्णय के प्रस्तर–20 से 26 में, न्यायमूर्तिगण के तर्कों को उद्धृत करना उपयुक्त होगा, जो निम्नवत् है–

"20. इसलिए, एक शैक्षिणक संस्था, उपदान संदाय अधिनियम,1972 की धारा 1(3) (ग) के अन्तर्गत अधिसूचित एक 'प्रतिष्ठान' है। नगर निगम कि ओर से यह अभिकथित है कि अधिनियम,1972 की धारा 1(3) (ग) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना का एक मात्र लाभकारी प्रभाव यह है कि शैक्षणिक संस्थानों के ऐसे अशिक्षण कर्मचारी वृन्द (Non–teaching staff), परिभाषा खंड–2(ङ) के किसी भी नियोजन के विवरण स्वरूप, अधिनियम के प्रावधानो से आवर्त होगा। शिक्षक वृन्द, 'कर्मचारी' की परिभाषा से आवर्त न होने के कारण, मात्र इस कारण कोई लाभ प्राप्त नही कर सकते क्योंकि अधिसूचना 'शैक्षणिक संस्थान', प्रतिष्ठान के रूप मे अधिनियम के प्रावधानों से आवर्त है।

21. इस प्रकार, विभिन्न श्रम विधायनों के, विभिन्न लक्ष्य व उद्देश्य के प्रति अपेक्षित सम्मान के साथ, विभिन्न अधिनियमों में 'कर्मचारी' शब्द की विभिन्न परिभाषा खंडों की तुलना करने पर, हम इस मत के है कि अधिनियम के परिभाषा खंड–2(ङ) में प्रयुक्त शब्दों व अभिव्यक्ति के सादे विरचन पर भी, 'शिक्षक', जो मुख्य रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए नियोजित है,को इस अधिनियम के अंतर्गत उपदान लाभ के विस्तार से आच्छादित करने का आशय नही है। शिक्षक का, "कुशल", "अर्द्धकुशल" व "अकुशल" कर्मचारी जैसा वर्गीकरण संभव नहीं है। ये तीन शब्द, एक दूसरे की संगति में प्रयुक्त होकर, यह संप्रेषित करने का आशय रखते है कि "अकुशल" व्यक्ति वह है, जो "कुशल" नही है तथा "अर्द्धकुशल" वह व्यक्ति है, जो दोनो श्रेणियों के मध्य आता हो अर्थात् वह

*न तो पूर्ण कुशल है और न ही अकुशल। द ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी उक्त तीन शब्दों को इस प्रकार परिभाषित करता हैः **अर्द्धकुशल कार्य**– ऐसा कार्य, जिसके लिए कुछ सतर्कता व अति सावधानी अपेक्षित हो, जैसे कि अनियमिता के लिए, वस्तु या यंत्रों का निरीक्षण करना अथवा व्यक्ति या संपत्ति को क्षति या हानि से बचाना; **कुशल कार्य**– ऐसा कार्य, जिसमे कार्यकर्ता से निर्णय का प्रयोग, जनसामन्य से संव्यवहार, तथ्यों व आंकड़ों का विश्लेषण या उच्च स्तरिय जाटिलता की स्थिति में अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना अपेक्षित हो तथा **अकुशल कार्य**– ऐसे कार्य, जिसमें अल्प अथवा शून्य निर्णय अपेक्षित हो तथा इसमें ऐसे साधारण लक्ष्य सम्मलित होते हैं, जिन्हें कार्य करते समय शीघ्र सीखा जा सकता है।*

22. उपरोक्त तीनो शब्दों के निर्वचन में, जो एक–दूसरे की संगति में प्रयुक्त होते हैं, एक समाज के निर्माण का नियम (The rule of construction noscitur a sociis) लागू किया जा सकता है। इन शब्दों मे से प्रत्येक का अर्थ, इनके द्वारा धारित संगति से समझा जा सकता है। संसद के किसी अधिनियम के शब्द के निर्वचन हेतु, उस शब्द के तत्कालीन संगति में पाए गए शब्दों का सन्दर्भ, निर्वचन का विधिमान्य नियम है। इन तीन शब्दों का तुलन्तामक वास्तविक क्रम यह इंगित करता है कि एक का अर्थ दूसरे से वर्ण प्राप्त करता है। इस नियम को भिन्न रूप में स्पष्ट किया गयाः "कि संदिग्ध शब्दों का अर्थ, उससे जुड़े शब्दों के अर्थ से सुनिश्चित किया जा सकता है।[संदर्भ–सांविधिक निर्वचन के सिद्धांत, द्वारा न्यायमूर्ति जीपी सिंह अष्टम संस्करण, सिन–8, पृष्ठ 379]

23.शब्द "अकुशल", शब्द "कुशल" का विलोम है तथा शब्द "अर्द्धकुशल", एक ऐसे व्यक्ति का विवरण देता प्रतीत होता है जो, दोनो श्रेणियों के मध्य आता अर्थात् वह न तो पूर्णतः अकुशल है और न ही पूर्णतः कुशल, अपितु जिस कार्य के लिए वह नियोजित है, उस कार्य के लिए उसके पास कुछ मात्रा मे कौशल है। इस प्रकार शब्द "अकुशल" को, शब्द "कुशल" व शब्द "अर्द्धकुशल" से पृथक कर नही समझा जा सकता है अपितु सभी श्रेणियों के कर्मचारियों, चाहे उनके नियोजन कि प्रकृति कैसी भी हो, को सम्मलित कर, इन्हे पढ़ा व निर्वचित किया जा सकता है । यदि अधिनियम के अन्तर्गत उपदान के लाभ के विस्तार हेतु सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के आच्छादन का विधायन का आशय था तो परिभाषा खंड में नियोजन की श्रेणियों का विशिष्ट उल्लेख कतई आवश्यक नही था। परिभाषा खंड के ऐसे निर्वचन कि उपेक्षा की जानी चाहिए, जो इसे आवश्यकता से अधिक जटिल या निरर्थक बनाता हो।

24.इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षकों को "अकुशल" या "कुशल" अभिव्यक्ति में सम्मलित किया जाना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षण हेतु प्रशिक्षण

दिया गया हो सकता है या ऐसे भी मामले हो सकते है, जहाँ प्राथमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक, अप्रशिक्षित हो। एक प्रशिक्षत शिक्षक को औद्योगिक क्षेत्र या सेवाविधि शास्त्र में कुशल कर्मचारी के रूप में वर्णित नही किया गया है। ऐसे विशेषण सामान्यता वैयक्तिक (Manual) या तकनीकी कार्य करने वाले एक कर्मचारी के लिए प्रयुक्त होते है। इसी प्रकार, शब्द "अर्द्धकुशल" व "अकुशल", शैक्षिणक प्रतिष्ठानों में,अप्रशिक्षित शिक्षको की सेवा की प्रकृति को वर्णित करने के रूप में नहीं समझे जाते है। हम इस प्रश्न पर दिए गए तर्कों को अधिक महत्व नही देते है कि क्या "कुशल","अर्द्धकुशल" व "अकुशल", वैयक्तिक' (Manual), 'पर्यवेक्षी' , 'तकनीकी' या 'लिपिकिय शब्दो को अर्हता प्रदान करते है या उपरोक्त शब्द 'कार्य' शब्द को अर्हता प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि यदि सभी शब्दों को संधि–विच्छेदित कर के या अन्य प्रकार से पढ़ा जाए तो प्रशिक्षत या अप्रशिक्षत शिक्षक, परिभाषा खंड मे दिए गए, सभी नियोजनों की प्रकृति के विवरण मे से किसी की कोटि में नहीं आते। प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित शिक्षक, "कुशल","अर्द्धकुशल" व "अकुशल", 'वैयक्तिक' (Manual), 'पर्यवेक्षी' , 'तकनीकी' या 'लिपिकिय कर्मचारी नहीं है, वे प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में भी नियोजित नही होते हैं। कभी–कभी भले ही वे शैक्षिणक दायित्व के अंश स्वरूप कुछ प्रशासनिक कार्य करते है, चूंकि उनका मुख्य कार्य शिक्षा देना है, उन्हे प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में नियोजित करार नहीं दिया जा सकता। शिक्षकों को स्पष्ट रूप से 'कर्मचारी' की परिभाषा से आच्छादित करने का आशय नहीं है।

25.जब 1972 में अधिनियम पारित किया गया था तो विधायिका पूर्व के विभिन्न श्रम अधिनियमों में निहित 'कर्मचारी' शब्द की विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं के प्रति जागरूक थी। यदि उसका 'कर्मचारी' की परिभाषा में सभी प्रकार के कर्मचारियों को सम्मलित करने का आशय रहा होता तो वह कर्मचारी भविष्य निधि कोष अधिनियम, 1952 की धारा 2(च) में निहित परिभाषा में, ऐसी व्यापक भाषा का भी प्रयोग कर सकता था, जो 'कर्मचारी' को परिभाषित करता है, जिसके द्वारा परिभाषित 'कर्मचारी' का अर्थ है, "कोई भी व्यक्ति, जो वेतन हेतु, किसी भी प्रकार के कार्य, 'वैयक्तिक' (Manual), या अन्यथा में या एक प्रतिष्ठान के कार्य के संबंध में नियोजित हो––"। अधिनियम,1972 की धारा 2(ङ) में 'कर्मचारी' की परिभाषा में, ऐसी व्यापक भाषा का प्रयोग न होना, हमारे इस निष्कर्ष को बल प्रदान करता है कि शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषा से आच्छादित नही है।

26.हमारे निष्कर्ष को गलत नही समझा जाना चाहिए कि यद्यपि शिक्षक, हमारी युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के एक अत्यंत महान व्यवसाय में लगे हुए है, उन्हे कोई उपदान लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। कई राज्यों में, शैक्षिक संस्थाओं, मे शिक्षकों को उपदान

लाभ प्रदान करने के लिए, पहले से ही विभिन्न सांविधियां, नियम व विनियम है , जो अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत उपदान लाभ की तुलना मे कमोबेस लाभकारी है। यह विधायिका का कार्य है कि विभिन्न प्रतिष्ठनों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों की स्थिति का संज्ञान ले, जहाँ उपदान लाभ उपलब्ध नहीं है तथा इस संबंध में उनके लिए पृथक विधायन पर विचार करे। यह अनन्य रूप से विधायिका के विचार व विनिश्चय की विषय वस्तु है।"

16. इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक सिद्धांत का पाठन करने पर, हमे यह धारित करने में कोई हिचक नही है कि प्रत्यर्थी सं० 4, जो शिक्षक था तथा जो अपीलार्थी के साथ इस रूप में कार्यरत रहा, इस अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थी (BIT) से उपदान राशि का दावा करने का पात्र नहीं था।

17. हमारी राय में यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा, अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ के वाद में दिए गए निर्णय को संदर्भित किया गया किन्तु इस आधार पर विभेद करने मे त्रुटि कारित की गई कि यह प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों पर ही अनुप्रयोज्य है, इस वाद हेतु इसका कोई अनुप्रयोग नही है।

18. हमारे मत में, उच्च न्यायालय उपरोक्त प्रस्तर की अंतिम पंक्ति के पाठन मे विफल रहा है, जिसमे, इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट शब्दों मे यह धारित किया गया है कि शिक्षकों को स्पष्ट रूप से 'कर्मचारी' की परिभाषा से आच्छादित करने का आशय नहीं है। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा "प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक" तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य किया गया विभेद न्यायोचित नहीं है।

19. उच्च न्यायालय यह देखने में विफल रहा कि इस न्यायालय ने, अभिव्यक्ति 'शिक्षक' तथा अधिनियम की धारा–2(ङ) में यथा परिभाषित अभिव्यक्ति 'कर्मचारी' के मध्य परीक्षण किया था और तत्पश्चात् यह धारित किया था कि 'शिक्षक', अधिनियम की धारा–2(ङ) अर्थ में यथा परिभाषित 'कर्मचारी' नहीं है। उक्त विधि को प्रतिपादित करते समय, इस न्यायालय ने शिक्षकों के मध्य न तो कोई विभेद किया और न ही अधिनियम के अन्तर्गत उपदान के दावे की, अपनी पात्रता के निर्धारण के लिए, शिक्षक, किस शैक्षणिक संस्था में कार्य कर रहा है, के संबंध में विभेद किया।

20. इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते हैं, जो हमारे दृष्टिकोण में, इस न्यायालय द्वारा, अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ के

वाद में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। यह, इस न्यायालय के निर्णय के दोषपूर्ण पाठन पर आधारित है, और, इसलिए, यह अपास्त किए जाने योग्य है।

21. हालांकि हम यह स्पष्ट करते है कि हमने प्रस्तुत वाद का परीक्षण मात्र अधिनियम के प्रावधानो के आलोक में किया है, जो पूर्वोक्त अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ के वाद के तथ्यों के सदृश था।

22. ऐसी स्थिति में, जबकि कोई अन्य राज्य अधिनियम अथवा योजना प्रवर्तन में हो, जो संस्था के कर्मचारियों को कोई लाभ प्रदान करने तक विस्तारित हो तो प्रत्यर्थी सं० 4, विधि के अनुसार, ऐसे अधिनियम/योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

23. परिणामतः अपील सफल होती है, तदानुसार स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा, अपीलार्थी के विरूद्ध, अधिनियम के अन्तर्गत, नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवदेन पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

अपील अनुमत

देविका गुजराल

Digitally signed by Gyanendra Tripathi
Date: 2023.11.01 15:10:56 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court